20/8/19	पत्रावली वास्ते निर्णय आवेदन के धारा 10 CPC पेश हुई। वकील प्रतिवादी/प्रार्थी ने आवेदन अ॰

Scanned by CamScanner

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाय जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए

अं. धारा 10 CPC पेश किया तथा दौराने बहस निवेदन किया कि इस वादपत्र की प्रस्तुति दिनांक 23.8.18 से पूर्व ही इन्हीं भूमियों बाबत न्यायालय में एक वाद नं 89/18 उनवानी गोपालसिंह बनाम मोहनसिंह वगै. बाबत बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 22.6.18 को प्रस्तुत किया था जिसमें इस वादपत्र में वादी बतौर प्रतिवादी पक्षकार है तथा जरिये वकील न्यायालय हाजिर आ चुका है अतः पूर्ववर्ती वाद गोपालसिंह बनाम मोहनसिंह में जवाबदावा पेश करने के बजाय एक नया वाद दुर्भावनापूर्वक व वादबहुलता बढ़ाने हेतु पेश किया गया है तथा समान भूमियों व समान पक्षकारों के बीच एक ही न्यायालय में दो अलग-2 वाद विचारण विधि वर्जित है। अतः पश्चातवर्ती हस्तगत वाद मोहनसिंह बनाम गोपालसिंह की अग्रिम कार्यवाही स्थगित किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे। वकील वादी/अप्रार्थी ने दौराने बहस जवाब आवेदन अं. धारा 10 CPC के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि विवादित खसरा नम्बर व पक्षकार पृथक है अतः वाद को स्थगित करना उचित नहीं है अतः आवेदन अं. धारा 10 CPC खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। दोनों पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। पूर्ववर्ती वाद नं 89/18 उनवानी गोपालसिंह बनाम मोहनसिंह व

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
	पश्चातवर्ती वाद नं 121/18 अनवाती मोहनसिंह बनाम गोपालसिंह के अवलोकन से स्पष्ट है कि दोनो ही वादपत्र बरवारा व न्यायनिर्णयार्थ प्रमाणार्थ पेश किये गये है तथा मुख्यतः अनुतोष भी समान कब्जा नाजायज बाबत ही चाहा गया है तथा पक्षकार भी समान है। दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 10 के अनुसार "कोई न्यायालय ऐसे किसी वाद के विचारण मे जिसमे विवाद्य विषय उसी के अधीन मुकदमा करने वाले किन्ही पक्षकारो के बीच या ऐसे पक्षकारो के बीच के जिनके व्युत्पन्न के अधीन वे या उनमे से कोई दावा करते है, किसी पूर्वतन संस्थित वाद मे भी प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद्य है, आगे कार्यवाही नही करेगा"
	उक्त अनवाती वाद व पूर्ववर्ती वाद 89/18 अनवाती गोपालसिंह बनाम मोहनसिंह मे प्रमुख पक्षकार व विवाद्य विषय भी प्रत्यक्षतः व सारतः एक ही है अतः धारा 10 CPC के प्रावधान इस प्रकरण मे लागू होते है अतः उक्त हस्तगत अनवाती वाद व पूर्ववर्ती वाद नं 89/18 अनवाती गोपालसिंह बनाम मोहनसिंह के पक्षकार व्यक्ति तथा विवाद का विषय व अनुतोष प्रत्यक्षतः एक ही होने से पश्चातवर्ती वाद (121/18) अनवाती मोहनसिंह बनाम गोपालसिंह की कार्यवाही पूर्ववर्ती वाद सं. 89/18 अनवाती गोपालसिंह बनाम मोहनसिंह के निस्तारण

Scanned by CamScanner

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व अहकाय जो की तारीख मे
तक स्थगित की जाती है। पत्रावली पूर्ववर्ती वाद क्रं 83/18 अनवारी गोपालसिंह बनाम मोहनसिंह के साथ संलग्न हो। उपखण्ड अधिकारी, दाँतारामगढ़ सीकर	

Scanned by CamScanner